युवा विदेशी भाषाएं सीखें और देश-विदेश पर छा जाएं- भजनलाल

राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं का फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जापानी व कोरियन सिखाने के लिए एमओयू किया

जयपुर, 1 मई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के साथ-साथ कौशल से जोड़कर कुशल बना रही है और युवा अब नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बन रहा है।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को बिड़ला

- **जयपुर में एमओयू कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, कौशल विकास राज्य मंत्री जयंत चौधरी भी उपस्थित थे।**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को बिड़ला ऑडिटोरियम में विदेशी भाषा संचार कौशल कार्यक्रम के लिए एमओयू कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास व केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान मौजूद रहे।

ऑडिटोरियम में विदेशी भाषा संचार कौशल कार्यक्रम के लिए एमओयू कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंदजी का उल्लेख करते हुए युवाओं से विदेशी भाषा सीखने और देश-दुनिया में छा जाने का अव्हान किया।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इंग्लिश एंव फॉरेन लैंग्वेजेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद और नेशनल स्किल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ एमओयू किए हैं। इसके माध्यम से हमारे युवाओं को फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जापानी और कोरियन सीखने का अवसर मिलेगा।

उन्होंने कहा कि आज के युग में विदेशी भाषा सीखना आवश्यकता बन चुका है। विदेशी भाषा का ज्ञान युवाओं को बहुराष्ट्रीय कंपनियों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और विदेशों में रोजगार के अनेक अवसर प्रदान करता है। इसी तरह यह विदेशी पर्यटकों, उद्यिमयों और प्रदेश के स्थानीय उद्योगों के बीच एक सेतु का कार्य भी करता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रमुख पयर्टन स्थलों की वजह से राजस्थान के लिए विदेशी भाषा का विशेष महत्व है। विदेशी भाषाएं जानने वाले गाइड, होटल मैनेजर, ट्रैवल एजेंट और व्यापारियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान के युवाओं में मेहनत, नवाचार, उद्यिमता के साथ-साथ भाषाओं और संस्कृतियों को आत्मसात करने की नैसर्गिक प्रतिभा है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन के साथ हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से युवाओं को विदेशी भाषा से संबंधित रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। ?

केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यिमता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयन्त चौधरी ने कहा कि स्थानीय भाषा हमारे गौरवशाली अतीत संजोए रखने के साथ-साथ हमे विश्वास देती है, हमारी जड़ों से हमारा भावनात्मक जुड़ाव मजबूत करती है।

इस अवसर पर राज्य सरकार तथा इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के मध्य विदेशी भाषा संचार कौशल कार्यक्रम के लिए एवं स्किल इंडिया इन्टरनेशनल सेंटर जयपुर की स्थापना के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मध्य एमओयू का आदान-प्रदान किया गया। साथ ही, नेशनल एन्टरप्रेन्योर एम्पावरमेंट ड्राइव के अन्तर्गत भी विभिन्न एमओयू संपादित हुए। इससे पहले इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेज यूनिवर्सिटी के जर्नल का विमोचन भी किया गया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने युवाओं से संवाद भी किया। इस दौरान मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव डॉ. विनीत जोशी, शिक्षाविद् सहित बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे। वहीं, वीसी एवं माय भारत पोर्टल के माध्यम से प्रदेशभर के युवा जुड़े।

मध्यप्रदेश में ट्रेन से 26 बच्चों को बचाया

उज्जैन, 01 मई। मध्य प्रदेश के उज्जैन और नागदा रेलवे स्टेशन पर गुरुवार की रात बड़े स्तर पर तस्करी की सूचना पर बड़ा अभियान चलाकर अंत्योदय एक्सप्रेस से 26 नाबालिगों का रेस्क्यू किया गया है। इन बच्चों को बिहार के मुजफ्फरनगर से गुजरात के अहमदाबाद ले जाया जा रहा था। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को सूचना मिली थी कि करीब 100 बच्चों को मजदूरी के लिए मुजफ्फरनगर से अहमदाबाद ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही उज्जैन में चार थानों का पुलिस बल, आरपीएफ, जीआरपी, श्रम विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम को अलर्ट किया गया। गुरुवार रात करीब 11 बजे

- **इन बच्चों को अवैध रूप से बिहार से अहमदाबाद ले जाया जा रहा था**
- **रेस्क्यू ऑपरेशन उज्जैन व नागदा स्टेशन पर किया गया। बाल कल्याण समिति को 100 बच्चों की तस्करी की सूचना मिली थी।**

जैसे ही अंत्योदय एक्सप्रेस उज्जैन स्टेशन पहुंची, टीम ने ट्रेन में सर्चिंग शुरू की। करीब आधे घंटे तक 50 से अधिक बच्चों और उनके साथ मौजूद लोगों से पूछताछ की गई, जिसमें शुरुआती तौर पर चार बच्चों को रेस्क्यू किया गया। इसी दौरान ट्रेन आगे बढ़ गई।

रेस्क्यू ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहीं सीएसपी दीपिका शिंदे ने तत्काल नागदा स्टेशन को सूचना देकर ट्रेन रुकवाई। वहां करीब एक घंटे तक चली सर्चिंग के बाद 22 और नाबालिग बच्चों को ट्रेन से उतारा गया।

सांभर क्षेत्र में सोलर प्लांट लगाने की सशर्त अनुमति मिलेगी

हाई कोर्ट ने कहा कि पेड़ व प्रभावित पक्षियों की रक्षा करते हुए सोलर प्लांट लगाया जा सकता है

जयपुर, 1 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने नावा सिटी में सौर संयंत्र परियोजना स्थापित करने पर रोक लगाने वाले अपने गत 17 दिसंबर के आदेश को वापस लेते हुए एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को प्लांट लगाने की सशर्त अनुमति दी है। अदालत ने कहा कि सोलर पैनलों की ऊंचाई को बढ़ाया जाए, ताकि प्रवासी पक्षी बिना किसी बाधा के उनके नीचे घोंसला बनाकर अंडे दे सकें और प्रजनन कर सकें। जस्टिस एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश दिनेश कुमावत व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने एसजेवीएन को कहा है कि वह सौर पैनल की ऊंचाई कम से कम 1.5 मीटर रखेगा और यदि क्षेत्र से पेड़ काटने की जरूरत होगी तो उनकी जगह आसपास के इलाकों में तीन गुणा वृक्ष लगाएगा। इसके साथ ही इस भूमि पर पानी के आने पर कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, जिससे उस पानी का उपयोग प्रवासी पक्षी बारिश के बाद भी कर सकें। अदालत ने स्पष्ट किया है कि हिंदुस्तान साल्ट्स, सांभर सॉल्ट्स व एसजेवीएन के बीच हुए एग्रीमेंट की अवधि में अदालत के स्टे की अवधि को शामिल नहीं किया जाएगा। अदालत ने कहा कि गत 17 दिसंबर को आदेश देते समय एनजीटी में मामला लंबित होने और उसकी ओर से स्टे नहीं देने के तथ्य अदालत के संज्ञान में नहीं लाए गए थे। ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाना चिंता का विषय है। अदालत ने कहा कि सांभर झील केवल नमक उत्पादन के लिए है, बल्कि महत्वपूर्ण पक्षी अभयारण्य के रूप में भी कार्य करती है, जहां सर्दियों में हजारों राजहंस व अन्य प्रवासी पक्षी आते हैं और प्रजनन करते हैं। यह महत्व

- **अदालत ने सोलर पैनल की ऊंचाई 1.5 मीटर से अधिक रखने के निर्देश दिए ताकि प्रवासी पक्षी बिना किसी बाधा के उसके नीचे घोंसला बनाकर अंडे दे सके। यदि कोई पेड़ काटना पड़े तो उसकी जगह आस-पास के इलाके में कंपनी तीन गुना पेड़ लगाए।**

केवल झील क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नावा सिटी सहित आसपास के इलाकों में भी फैला हुआ है, ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि हम उन पक्षियों की रक्षा करें। अदालत ने अपने आदेश में माना कि बिजली की कमी को दूर करने के लिए सौर ऊर्जा भी जरूरी है। अदालत ने कहा कि एडीजे, सांभर की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि संबंधित भूमि वेटलैंड नहीं है और न तो यह नमक क्षेत्र है और वेटलैंड या झील का बफर जोन है। वहीं सांभर सॉल्टस के एमडी के अनुसार, यह भूमि झील से करीब ढाई किमी दूर है और इस दूरी में आवासीय व व्यावसायिक प्रतिष्ठान मौजूद है। अदालत ने कहा कि सांभर सॉल्टस के पूर्व सीएमडी के अनुसार, यह भूमि सन् 1950 के आसपास आवंटित की गई थी। हालांकि समय के साथ यह भूमि लगभग अप्रयुक्त हो गई है और यहां पानी भी मौजूद नहीं है।

सुनवाई के दौरान प्रतिवादी कंपनियों की ओर से कहा गया कि याचिका तथ्य छिपाकर पेश की गई है। एनजीटी ने इस संबंध में परियोजना पर रोक नहीं लगाई और एक कमेटी का गठन किया था। इसके अलावा यह परियोजना नियमों के तहत वाइट कैटेगरी में आती है और पर्यावरण मंत्रालय की 13 मई, 2011 की अधिसूचना के तहत इसे पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की जरूरत नहीं है। ऐसे में गत 17 दिसंबर को परियोजना पर दिए स्टे को रद्द किया जाए।

सुप्रीम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इस मामले में हिरासत की आवश्यकता नहीं है तथा उनके मुवक्किल के फरार होने का खतरा भी नहीं है और उन पर लगाए गए आरोप अधिकांशतः जमानती हैं। उन्होंने कहा कि मानहानि मामले में गिरफ्तारी अनावश्यक अपमान के बराबर होगी और स्वतंत्रता अधिकार का मामला है, विशेषाधिकार का नहीं। सिंघवी ने यह भी आरोप लगाया कि अभियोजन का रवैया राजनीतिक संकेत दर्शाता है।

याचिका का विरोध करते हुए, असम सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि आरोप गंभीर हैं और इनमें झूठे अधिकारिक दस्तावेज बनाना शामिल है। उन्होंने कहा कि जांच में कथित तौर पर फर्जी सामग्री के उपयोग का संकेत मिला है, जिसमें पासपोर्ट से संबंधित विवरण भी शामिल हैं, और आरोपों के स्रोत और संभावित व्यापक प्रभावों का पता लगाने के लिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है।

सभी प्रशंसक व ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हैं और केवल उन्हीं को जवाबदेह हैं।

सूत्रों के अनुसार, वेणुगोपाल, जो मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत उत्सुक हैं, केवल तभी जाएंगे, जब पार्टी 85 सीटों से अधिक जीते, जिससे मजबूत सरकार बने और भाजपा के लिए उसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो, अगर भाजपा वामपंथ को सत्ता में लौटाने में मदद करना चाहे।

कांग्रेस नेताओं के दिमाग में दूसरा सवाल यह है कि अगर वेणुगोपाल को केरल भेज दिया गया तो उनकी जगह कौन लेगा? ऐसा नेता कौन होगा, जिस पर राहुल गांधी भरोसा कर सकें और जिसके साथ उनका सहज तालमेल हो।

भंवर जितेंद्र सिंह का नाम चर्चा में है, क्योंकि वे गांधी परिवार के नजदीक हैं, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है; उन्होंने हर उस राज्य में हार का सामना किया है जहां की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है और उन्हें महान राजनीतिक मस्तिष्क के रूप में जाना भी नहीं जाता। नये व्यक्ति को सभी राज्यों और केन्द्र की जटिलताओं को समझना होगा, खासकर इस स्थिति में, जब 2029 के लोकसभा चुनाव केवल 3 साल दूर हैं। किसी भी नए उत्तराधिकारी को इतने बड़े और जटिल भारतीय राज्य को समझने और शीर्ष भाजपा नेतृत्व से निबटने गांधी परिवार और देश के हित में काम करने में काफी समय लगेगा। यह स्थिति निश्चित रूप से कठिन है।

चुनाव आयोग ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के ईवीएम रखे गए हैं। बुधवार को मतदान समाप्त होने के बाद, सभी स्ट्रांग रूम संबंधित उम्मीदवारों/चुनावी एजेंटों और पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में सही तरीके से बंद और सील किए गए थे। अंतिम स्ट्रांग रूम को गुरुवार को सुबह 5:15 बजे बंद किया गया। खुदीराम अनुशीलन केन्द्र में एक और स्ट्रांग रूम डाक मतपत्रों के लिए है। विभिन्न केन्द्रों से आए डाक मतपत्र वहीं रखे गए हैं और उन्हें मतदान अधिकारियों द्वारा क्रमबद्ध किया जा रहा था।" उन्होंने कहा कि उन्होंने रिटर्निंग अधिकारियों को उम्मीदवारों और एजेंटों को इस प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए भी कहा था।अग्रवाल ने कहा, रिटर्निंग अधिकारियों ने राजनीतिक पार्टियों को ईमेल के माध्यम से सूचित किया। मतदान बूथों के गलियारों में शाम 4 बजे से डाक मतपत्रों का पृथक्करण जारी था। ये सभी सुरक्षित, और ताले में बंद हैं। तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के प्रतिनिधियों को सब कुछ दिखाया गया है।" उन्होंने स्पष्ट किया कि स्ट्रांग रूम में बिजली कनेक्शन की अनुमति होने के कारण, कोलकाता की सात विधानसभा सीटों के डाक मतपत्रों का पृथक्करण टॉर्च की रोशनी में किया जा रहा था, जिसे सत्तारूढ़ तृणमूल नेताओं ने गलत तरीके से "संदिग्ध गतिविधि" कहा। शीर्ष चुनाव अधिकारी की टिप्पणी के बाद, तृणमूल नेताओं ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया और वहाँ से चले गये।

मई माह में सामान्य से 110 प्रतिशत अधिक बारिश हो सकती है

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह पूर्वानुमान घोषित किया

नई दिल्ली, 01 मई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, मई का महीना देश के अधिकांश हिस्सों के लिए राहत और चुनौतियों का मेल भरा रहेगा। एक तरफ जहां पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश की अधिक संभावना है, वहीं कुछ राज्यों में लोगों को सामान्य से अधिक हीट वेव का सामना करना पड़ सकता है।

मई के लिए अनुमान जारी करते हुए शनिवार को भारतीय मौसम विभाग ने सामान्य से 110 प्रतिशत अधिक बारिश का अनुमान जताया है। विभाग ने बताया कि पूरे देश में औसत बारिश सामान्य से अधिक होने के संभावना है।

साल 1971 से 2020 के आंकड़ों के आधार पर मई में औसतन 61.4 मिमी बारिश दर्ज की गई है। विभाग के अनुसार, देश में अधिकांश

- **विभाग ने कहा कि पश्चिम विक्षोभ के कारण बारिश होगी पर कुछ राज्यों में भारी हीटवेव की आशंका भी है।**

स्थानों पर सामान्य से अधिक बारिश रहेगी पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत तथा पूर्वी मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बारिश सामान्य से कम रहेगी।

वहीं, गर्मी की बात करें तो देश के अधिकांश राज्यों में अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है।

लेकिन मई के महीने में गंगा के मैदानी क्षेत्र, पूर्वी तटीय राज्यों, गुजरात, और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक गर्मी वाले दिन रहने की संभावना है।

गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तटीय ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ अलग-अलग इलाकों में सामान्य से अधिक दिनों तक हीट वेब रहने की संभावना है। हिमालयी राज्यों में 3-4 दिन अतिरिक्त हीट वेव चलने और मानसून के दौरान अल-नीनो सक्रिय होने की भी चेतावनी दी गई है। वहीं, देश के अधिकांश राज्यों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। लेकिन उत्तर-पश्चिमी भारत के कई हिस्से, मध्य भारत और प्रायद्वीपीय क्षेत्र के कुछ हिस्से, पूर्वोत्तर भारत के दक्षिणी हिस्से हैं, जहां न्यूनतम तापमान सामान्य या सामान्य से नीचे रहने की संभावना है।

प्रधानमंत्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

स्थायी आत्मा या सत्ता है। जब व्यक्ति भगवान बुद्ध के बताए अष्टांगिक मार्ग- सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक आचरण का पालन करता है, तब वह सभी दुखों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है।

हाई कोर्ट ने जिंदा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

स्टे प्रार्थना पत्र में कहा गया कि घटना में हुए बम धमाकों में दर्जनों लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे। उस मूल मामले को लेकर दर्ज आठ एफआईआर में शाहबाज हुसैन को विशेष अदालत ने बरी किया था। वहीं, अन्य आरोपियों को मिली फांसी की सजा को हाईकोर्ट ने रद्द कर उन्हें दोषमुक्त कर दिया था। यह मामला उसी घटना से जुड़ा है और इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। ऐसे में जब मूल मामले में ही अपीलार्थियों को बरी किया जा चुका है तो इस मामले में उन्हें सजा देने का कोई आधार ही नहीं है। इसके बावजूद, विशेष न्यायालय ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी। हाईकोर्ट में इस आदेश के खिलाफ पेश अपील के निस्तारण में समय लगेगा। ऐसे में अपील के फैसले तक उनकी सजा को स्थगित किया जाए। विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश चौधरी और अधिवक्ता अमन अग्रवाल ने कहा कि अपीलार्थियों का मूल कार्य दहशत फैलाना था। इसके तहत ही बम प्लांट किए गए और ईमेल भेजकर इसकी जिम्मेदारी ली गई, जिसके पर्याप्त साक्ष्य अभियोजन पक्ष के पास हैं। मूल मामले में आरोपियों को बरी करने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लंबित है। ऐसे में उनकी सजा को स्थगित नहीं किया जाए। मामले की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने दोनों अभियुक्तों की सजा को स्थगित करने से इनकार कर दिया है।

नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान 15 जून से शुरू होगी

नोएडा, 01 मई। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून से उड़ान सेवाएं शुरू होने जाएंगी। इसी के साथ दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत के यात्रियों को नोएडा एयरपोर्ट से यात्रियों को उड़ान और कार्गो की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।

यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ आरके सिंह ने शुक्रवार को बताया कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून को पहली उड़ान इंडिगो एयरलाइंस की

- **पहली उड़ान इंडिगो एयरलाइन्स की होगी।**

होगी। उड़ान कहां के लिए होगी और किस समय होगी, इसको लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयरलाइन जल्द ही घोषणा करेगी।

उल्लेखनीय है कि जेवर में स्थित इस नवनिर्मित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 28 मार्च को उद्घाटन किया था। इसके बाद जल्द ही यहां से घरेलू और कार्गो सेवाओं के शुरू होने के कयास लगाए जा रहे थे।

नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो से हवाई अड्डा सुरक्षा कार्यक्रम (एएसपी) की मंजूरी मिलने के बाद अब यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 15 जून से उड़ानों के संचालन की घोषणा की है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल पर एफ आई आर की मांग करने वाली याचिका खारिज की

याचिका में राहुल गांधी के "फाइटिंग इंडियन स्टेट" रिमार्क पर आपत्ति जताई गई थी।

प्रयागराज, 01 मई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस मुख्यालय इन्दिरा भवन के उद्घाटन के मौके पर कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी के इंडियन स्टेट को लेकर दिए बयान को लेकर उच्च न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है।

दरअसल, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 15 जनवरी 2025 को नए कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन के उद्घाटन के मौके पर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारी लड़ाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और इंडियन स्टेट से है। इस बयान में इंडियन स्टेट पर हंगामा मच गया था। इस बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सिमरन गुप्ता ने एक याचिका भी दायर की थी। इसी याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ओपन कोर्ट

- **याचिका हिंदु शक्ति दल की सिमरन गुप्ता ने दायर की थी। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी की टिप्पणी से जनभावना आहत हुई है।**

में अपना फैसला सुनाते हुए यह याचिका खारिज कर दी है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाने से पहले सिमरन गुप्ता ने संभल की चंदौसी कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ निगरानी की याचिका दाखिल की थी। चंदौसी कोर्ट ने 7 नवंबर 2025 को याचिका खारिज कर दी थी। चंदौसी कोर्ट के फैसले को सिमरन गुप्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय में 8 अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

जाने माने इकॉनमिस्ट जेफ्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ईसाई, इस्लामी और अन्य-के नैतिक दृष्टिकोण समकालीन वैश्विक चुनौतियों के साथ संवाद कर सकें। सैक्स ने अक्सर जोर दिया है कि आध्यात्मिक परंपराओं में सहानुभूति, अहिंसा, पृथ्वी की देखभाल और सामाजिक न्याय जैसे साझा मूल्य होते हैं, जो सामूहिक कार्रवाई के लिए एकीकृत आधार बन सकते हैं।

व्यावहारिक रूप में, यह पहल कई दिनों के सम्मेलन के रूप में हो सकती है, जिसमें शांति स्थापना, पर्यावरणीय जिम्मेदारी, गरीबी निवारण और अंतरधार्मिक संवाद पर सत्र होंगे। इसका समय भी महत्वपूर्ण है। दुनिया कई संघर्षों, बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों और गहरे सामाजिक विखंडन का सामना कर रही है।

साथ ही, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक असमानताएँ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को चुनौती दे रही हैं। सैक्स ने संघर्ष समाधान में कूटनीति और संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया है, और यह पहल उसी सोच का विस्तार प्रतीत होती है-राजनीतिक प्रक्रियाओं के साथ नैतिक प्रेरणा को जोड़ने का प्रयास।

इसका एक रणनीतिक आयाम भी है। भारत ने खुद को ग्लोबल नॉर्थ और साउथ के बीच पुल के रूप में प्रस्तुत किया है और एक ऐसा देश होने का दावा किया है, जो समावेशी, मूल्य-आधारित वैश्विक संवाद की मेज़बानी कर सकता है। इस प्रकार की बैठक भारत की सॉफ्ट पावर और इसकी सभ्यतागत विरासत को मजबूत करेगी।

हालांकि इस पहल की सफलता इसकी निरंतरता पर निर्भर करेगी। वैश्विक सम्मेलनों में अक्सर शक्तिशाली बयान दिए जाते हैं, लेकिन इनके ठोस परिणाम सीमित रहते हैं। सैक्स के प्रस्ताव का स्थायी प्रभाव बनाने के लिए, इसके लिए निरंतरता के तंत्र-जैसे एक स्थायी नेटवर्क, समय-समय पर फॉलो-अप बैठकें या वैश्विक नीति प्लेटफॉर्म के साथ समन्वय की आवश्यकता होगी।

अंततः, प्रस्तावित वाराणसी बैठक का महत्व इस प्रयास में निहित है कि यह वैश्विक चर्चा में नैतिकता और आध्यात्मिकता को पुनः शामिल करने का प्रयास करती है, जबकि नीति पर आधारित बहसें अक्सर संकीर्ण राष्ट्रीय हितों से प्रभावित होती हैं।

यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया गया, तो यह याद दिला सकती है कि सतत शांति और विकास केवल आर्थिक समाधान पर नहीं, बल्कि मानव मूल्यों की साझा प्रतिबद्धता पर भी निर्भर करते हैं।

तीन सप्ताह में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वहां कानून-व्यवस्था बिगड़ने का खतरा है।

इस पर अदालत ने कहा कि, कानून-व्यवस्था संभालना राज्य सरकार का काम है, लेकिन इसकी आड़ में अदालती आदेशों की अवमानना नहीं की जा सकती। यह पानी किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, बल्कि गांव में रहने वाले सभी लोगों के लिए है। राज्य सरकार इस क्षेत्र में वंचित रहे गांवों को भी पानी पहुंचाने के लिए अतिरिक्त लिफ्ट परियोजना के प्रस्ताव को जल्द लागू कर सकती है। हाईकोर्ट ने जलदाय विभाग को समय देने के आग्रह को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अब समय नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने चेतावनी दी कि 26 मई, 2026 तक आदेश की पालना नहीं हुई, तो कार्रवाही की जाएगी। गौरतलब है कि अदालती आदेशों पर पांचना बांध से पानी छोड़ने का काम वर्ष 2022 में शुरू होना था।

सिक्किम भारत की पहली पेपरलैस न्यायपालिका बनी

गंगटोक, 01 मई। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सिक्किम को देश की पहली कागज रहित राज्य न्यायपालिका घोषित किया। राजधानी गंगटोक के चिंतन भवन में शुक्रवार से शुरू तकनीकी और न्यायिक शिक्षा पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य न्यायाधीश ने उक्त घोषणा की। साथ ही उन्होंने न्यायमूर्ति ए. मुहम्मद मुस्ताक को बधाई दी, जिनके कार्यकाल में सिक्किम उच्च न्यायालय ने देश का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय होने का गौरव हासिल किया।

सिक्किम उच्च न्यायालय और भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यह सम्मेलन दो दिनों तक राजधानी के चिंतन भवन और सम्मान भवन में आयोजित किया जा रहा है,

- **गंगटोक के चिंतन भवन में दो दिवसीय सम्मेलन में भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने यह घोषणा की।**

जिसका उद्देश्य न्याय प्रणाली को मजबूत करने और कानूनी शिक्षा के विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करना है।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि दूरस्थ भूगोल के कारण अदालतों तक पहुंच मुश्किल होता है और बुनियादी ढ ंचे के विकास एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ न्याय तक पहुंच अब आसान होती जा रही है।

ईरान वॉर से अमेरिका में ट्रंप ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नॉर्क और अन्य सर्वेक्षणों के अनुसार, ट्रम्प की कुल अनुमोदन रेटिंग 33-36 प्रतिशत के बीच है, जबकि असहमति लगातार 60 प्रतिशत से ऊपर बनी हुई है। प्रमुख आर्थिक संकेतकों, जो कभी उनकी राजनीतिक ताकत माने जाते थे, में भी जबरदस्त गिरावट देखी गई है। अर्थव्यवस्था के प्रबंधन का अनुमोदन 30 प्रतिशत तक गिर गया है, जबकि जीवन यापन की लागत पर रेटिंग और भी कम हैं।

राजनीतिक क्षति केवल व्यापक मतदाता वर्ग तक सीमित नहीं है। रिपब्लिकन कार्यकर्ताओं में, विशेष रूप से स्वतंत्र और सामान्य समर्थकों के बीच, थकावट एवं ऊब के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जबकि ट्रम्प को अभी भी अपने "बेस" से मजबूत समर्थन मिल रहा है, लगभग 83 प्रतिशत रिपब्लिकन उनके नेतृत्व को सही मानते हैं, लेकिन जैसे-जैसे आर्थिक दबाव बढ़ रहे हैं और युद्ध जारी है, दरारें दिखने लगी हैं। रिपोर्टों के अनुसार, कुछ मतदाता महँगाई, बढ़ती ईंधन कीमतों और ईरान में स्पष्ट रणनीति की कमी को लेकर असंतुष्ट हो रहे हैं।

विदेश नीति, जो पारंपरिक रूप से राष्ट्रपति के लिए शक्ति मजबूत करने का क्षेत्र होती है, अब उनकी कमज़ोरी सिद्ध हो रही है। मतदान औसत बताते हैं कि केवल लगभग 39 प्रतिशत लोग ट्रम्प की विदेश नीति को सही मानते हैं, जबकि बहुमत असहमति में हैं। ईरान का मुद्दा विशेष रूप से न केवल डेमोक्रेट्स की, बल्कि रिपब्लिकन पार्टी के कुछ हिस्सों की भी आलोचना झेल रहा है, जो इसे आर्थिक रूप से महंगा और रणनीतिक रूप से अनिश्चित मानते हैं।

युद्ध के आर्थिक प्रभाव ने राजनीतिक चुनौती को और बढ़ा दिया है। होर्मुज़ स्ट्रेट के माध्यम से तेल के आवागमन में व्यवधान ने ऊर्जा की कीमतों को बढ़ाया, जिससे घरेलू महँगाई बढ़ी और ट्रम्प के आर्थिक स्थिरता के वादे को कमज़ोर किया। इससे एक फीडबैक लूप पैदा हो गया। दरअसल युद्ध आर्थिक विश्वास को कमज़ोर करता है और आर्थिक चिंता राजनीतिक समर्थन को कम करती है।

इन दबावों को और बढ़ाने वाली चीज है, परसेप्शन की समस्या। सर्वेक्षण बताते हैं कि केवल लगभग 26 प्रतिशत अमेरिकी ट्रम्प को "संतुलित स्वभाव वाला" मानते हैं। यह निष्कर्ष संकट के समय उनकी नेतृत्व शैली और निर्णय लेने के बारे में चिंताओं को दर्शाता है। राजनीतिक विवाद, आक्रामक बयानबाजी से लेकर प्रशासनिक परिवर्तन तक, ने इस छवि को मजबूत किया तथा उनकी अस्थिर सोच वाली छवि का पक्का किया।

कुल मिलाकर, ये रुझान एक तनावपूर्ण राष्ट्रपति काल की ओर इंगित करते हैं। ट्रम्प की अनुमोदन रेटिंग में भारी ध्रुवीकरण हो रहा है, लेकिन पार्टियों से लगाव न रखने वाले मतदाताओं, स्वतंत्र और कम प्रतिबद्ध रिपब्लिकन वोटरों, में गिरावट का प्रभाव चुनावी रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। मध्यावधि चुनावों के पास आते ही, रिपब्लिकन रणनीतिकार चिंतित हैं कि युद्ध की थकान, आर्थिक दबाव और नेतृत्व की चिंताएँ नुकसान में बदल सकती हैं।

फिर भी, ट्रम्प के राजनीतिक लचीलेपन को कम नहीं आंकना चाहिए। उन्होंने पहले भी कम अनुमोदन वाले दौर में अपने बफादार "बेस" को बनाए रखते हुए स्थितियों को संभाला है। सवाल अब यह है कि क्या यह बेस उस स्थिति में पर्याप्त है, जब जनता में व्यापक में असंतोष बढ़ रहा है।

इस प्रकार, ईरान युद्ध सिर्फ एक विदेश नीति चुनौती नहीं रह गया है, यह राजनीतिक मोड़ का बिंदु बन गया है। यह न केवल देश से बाहर अमेरिकी शक्ति की सीमा को परख रहा है, बल्कि घरेलू स्तर पर ट्रम्प के समर्थन के बने रहने की परीक्षा भी ले रहा है।

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, **जयपुर कार्यालय:** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, **बीकानेर कार्यालय :** कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, **उदयपुर कार्यालय:** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **अजमेर कार्यालय:** राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908